

२/२/२०२६

अधिकृत अधीनस्थ उप.। अधिकृत अधीनस्थ को  
रेसपो. की तलाशी हेतु पूर्व में अनेकानेक अवसर दिया  
जाकर रेसपो. की तलाशी पेश करने हेतु निर्देशित किया  
गया। किन्तु अधिकृत अधीनस्थ द्वारा जानबूझकर  
आदिनांश तब तक अधीनस्थों की पाठना में रेसपो. की  
तलाशी हेतु पंजीकृत समान पेश नहीं किये। अतः अधिकृत  
अधीनस्थ द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना करने  
से उक्त अधीनस्थ अक्षय तन्मीण में खारिज की जाती है।  
फावकी फौजल सुमार दोहर बाद तन्मीण लेख्या  
ले एक इम दोहर दामिण दत्त ए।

राजेश अक्षय तन्मीण  
पत्नी